प्रस्तावना

'राज्य वित्त : बजटों का एक अध्ययन' एक ऐसी अनूठी रिपोर्ट है जिसमें राज्य सरकार के वित्त की व्यापक तसवीर प्रस्तुत की जाती है। यह रिपोर्ट 1950-51 से प्रकाशित की जा रही है। 1998-99 तक यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के मासिक बुलेटिन के एक अंग के रूप में प्रकाशित किया जाता था। 1990-2000 से इसे एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन में न सिर्फ अलग-अलग राज्य के स्तर पर बजट संबंधी प्रमुख परिवर्तियों का विश्लेषण किया जाता है, अपितु समेकित स्तर पर एक समूची तसवीर भी प्रस्तुत की जाती है। इस रिपोर्ट के विश्लेषण, अभिविन्यास, व्याप्ति और फार्मेट का समय-समय पर पुनर्विन्यास किया गया ताकि इसे अधिक सामयिक बनाया जा सके। इस संदर्भ में, राजकोषीय उत्प्रेरणा पैकेजों तथा छठे/राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन संबंधी व्यय जैसे मानकों के संबंध में राज्य सरकारों से अतिरिक्त जानकारी/आंकड़े प्राप्त कर इस रिपोर्ट में बजट से अतिरिक्त सामग्री का समावेश किया गया है। अनुसंधानकर्त्ताओं को टाइम सिरीज आंकड़े आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2004 में 'हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट फाइनैंस' नाम से एक प्रकाशन निकाला, जिसमें 1980-81 से प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार टाइम सिरीज आंकड़े तथा 1990-91 से राजस्व और पूंजी खाते के अंतर्गत विस्तृत आंकड़े दिए गए हैं।

राज्य सरकारों के वित्त पर महत्वपूर्ण असर डालनेवाले विभिन्न मुद्दों को ब्यौरेवार तथा व्यापक रूप में शामिल करने के लिए तथा विश्लेषणात्मक विषय-वस्तु में वृद्धि करने के लिए, 2005-06 से एक विशेष थीम आधारित विश्लेषण प्रारंभ किया गया है। अब तक पिछले चार वर्षों के दौरान 'राज्य सरकारों की बकाया देयताएं', 'सामाजिक क्षेत्र व्यय', 'राज्य सरकारों को राजकोषीय अंतरण' और 'राज्य सरकारों की राजस्व प्राप्तियां - प्रवृत्ति और संरचना' पर विशेष थीमें प्रस्तुत की गयी हैं। इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, इस वर्ष की रिपोर्ट 'राज्य वित्तः 2009-10 के बजटों का एक अध्ययन' की विशेष थीम 'राज्य सरकारों का व्यय - प्रवृत्ति और संरचना' में व्यय प्रबंधन पर फोकस किया गया है।

इस अध्ययन की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैंः

- राज्यों का समेकित राजस्व शेष, लगातार तीन वर्ष तक अधिशेष में रहने के बाद, 2009-10 (बअ) में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के घाटे में चले जाने का बजट अनुमान है।

- राज्य सरकारों के राजस्व खाते में गिरावट को दर्शाते हुए, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी 2008-09 (संअ) के 2.6 प्रतिशत तथा 2007-08 (लेखा) के 1.5 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 में 3.2 प्रतिशत पर उच्चतर रहने का बजट अनुमान है।

- राज्य सरकारों का ऋण-जीडीपी अनुपात मार्च 2004 के 32.8 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर से गिरकर 2008-09 (संअ) में 26.2 प्रतिशत रह गया।

- राज्यों ने छठे केंद्रीय / राज्यों के अपने वेतन आयोगों की सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। हालांकि 2008-09 (संअ) में राज्यों का समेकित राजस्व अधिशेष कम हो गया, व्यापक रूप से यह माना जाता है कि राज्य सरकारें वेतन आयोगों के अधिनिर्णयों को लागू करने के प्रभाव को अवशोषित करने की बेहतर स्थिति में हैं।

- मुख्य रूप से राजकोषीय जबाबदेही कानून (एफआरएल) अवधि के दौरान राजस्व व्यय में कुछ युक्तियुक्तकरण किए जाने के कारण 2005-10 अवधि के दौरान राज्य सरकारों के समेकित व्यय में कुछ संकुचन देखा जा सकता है। यह आरई-जीडीपी अनुपात 2000-05 के 13.3 प्रतिशत के औसत स्तर से गिरकर 2005-10 के दौरान 12.4 प्रतिशत रह जाने से स्पष्ट है।

- इस अध्ययन में राज्य सरकारों के वित्त संबंधी विभिन्न सामयिक मुद्दों अर्थात राजस्व में वृद्धि, व्यय की गुणवत्ता, नियम आधारित ढांचे को सुदृढ़ बनाने, राजकोषीय पारदर्शिता, अधिशेष नकदी शेष, उत्प्रेरणा कार्यक्रम के प्रभाव तथा वेतन आयोगों के अधिनिर्णयों को कार्यान्वित करने के बारे में चर्चा की गई है।

यह अध्ययन श्री दीपक मोहंती, कार्यपालक निदेशक के समग्र निर्देशन के तहत तथा श्री बी.एम.मिश्रा, परामर्शदाता के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के तहत आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग (डीएसएलएफ) की एक टीम द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें श्रीमती आर. कौशल्या, निदेशक, श्री ए.करुणाकरन तथा श्री राजीव जैन, सहायक परामर्शदाता, श्री धीरेंद्र गजभिये तथा श्री दिर्गाऊ केशव राउत, अनुसंधान अधिकारी शामिल हैं। श्री ए. के. धरमपाल, श्री टी. आर. मुरलीधरन, श्री पी. पी. जोशी, श्री बी. ए. रणखांबे तथा श्रीमती ई. फर्नांडीज ने आंकड़ों के संकलन में सहायता प्रदान की।

डीएसएलएफ को आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय वित्त प्रभाग से भी सहायता मिली है। इस कार्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) तथा आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आइडीएमडी) से भी सहयोग मिला। इस अध्ययन को राज्य सरकारों के वित्त विभागों से प्राप्त सहयोग और जानकारी तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली से प्राप्त मूल्यवान तकनीकी जानकारी का भी लाभ मिला।

वर्ष 2001-02 से लेकर आगे का यह अध्ययन भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। इस अध्ययन के पिछले अंक (1950-51 से) मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस अध्ययन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से इस अध्ययन के संबंध में प्रतिसूचना/अभिमत आमंत्रित हैं। इसे निदेशक, राज्य और स्थानीय वित्त प्रभाग, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400 001 को अथवा ई-मेल के माध्यम से deapdslf@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है।

सूबीर गोकर्ण
उप गवर्नर
22 फरवरी 2010